



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1811]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2008/पौष 5, 1930

No. 1811]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2008/PAUSA 5, 1930

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2008

का.आ. 2978(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात् यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजन के लिए विक्रय किए जाने वाले नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार की विनिर्दिष्ट किस्मों के बीजों की क्वालिटी को विनियमित किया जाना आवश्यक और समीचीन है, यह घोषणा करती है कि बीजों की उक्त किस्में, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए संपूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में होंगी, नामतः :-

सारणी

क्र.सं.	प्रकार	किस्म
(1)	(2)	(3)
1.	आलू	कुफ्री हिमसोना
2.	आलू	कुफ्री ख्याती (जे. 93-86)
3.	फूलगोभी	काशी अगाहनी (आईवीआरएमसी-12)
4.	भिण्डी	गुजरात भिण्डी संकर-2
5.	प्याज	भीम राज (बी-780-5-2-2)
6.	मिर्च	एलएएम-353 (एलसीए-353)
7.	बैंगन	अरका आनन्द (बीडब्ल्यूबीएच-3)
8.	लहसुन	जेजी-99-213 (गुजरात लहसुन)
9.	बैंगन	जेबीजीआर-99-5
10.	नारियल	महुआ
11.	फराश बीन	वी एल बीन-2

[फा. सं. 17-12/2008-एसडी. IV]

उपमा चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2008

S.O. 2978(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of the opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (3) of the table below of the kinds specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, to be sold for the purpose of agriculture, hereby declares that the said varieties of seeds shall be the notified varieties for the whole of India, for the purpose of the said Act, namely :-

TABLE

S. No.	Kind	Variety
(1)	(2)	(3)
1.	Potato	Kufri Himsona
2.	Potato	Kufri Khyati (J. 93-86)
3.	Cauliflower	Kashi Agahani (IVRMC-12)
4.	Okra	Gujarat Okra Hybrid-2
5.	Onion	Bhima Raj (B-780-5-2-2)
6.	Chilli	LAM-353 (LCA-353)
7.	Brinjal	Arka Anand (BWBH-3)
8.	Garlic	JG-99-213 (Gujarat Garlic)
9.	Brinjal	JBGR-99-5
10.	Coconut	Mahuva
11.	French Bean	VL Bean-2

[F.No. 17-12/2008-SD. IV]

UPMA CHAUDHRY, Jt. Secy.

1021 GI/2008